



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 फरवरी 2026 — माघ 27, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/6023/2025-HOME SECTION.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, :-

- नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
“(1) ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती, पदोन्नति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 कहलाएंगे।”
- नियम 2 के खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात्:-
“(ट) **विभागीय पदोन्नति समिति** से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार के कॉलम (5) के अनुसार नियम 16 अ के अधीन गठित समिति;
(ठ) **पात्रता के मापदण्ड** से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार के कॉलम (3) के अनुसार आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु दी गई पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले कर्मचारी;
(ड) **सेवा-अभिलेख का मूल्यांकन** से अभिप्रेत है, अनुसूची-पांच में यथा उल्लिखित मानकों का मूल्यांकन;
(ढ) **उत्तम आचरण** एवं **वार्षिक टीप का मूल्यांकन** से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार के कॉलम (4) में दिये गये मापदण्ड;
(ण) **पूर्व-पदोन्नति कोर्स** एवं **इंडक्शन कोर्स** से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार के कॉलम (6) में निर्धारित पी.पी. कोर्स एवं इंडक्शन कोर्स;
- नियम 13 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
“(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सूची में से उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं, वास्तविक रिक्तियों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुये 25% पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार कर प्रकाशित की जायेगी, जो प्रकाशन दिनांक से आगामी चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने तक या एक वर्ष के लिए अथवा जो पहले हो, तक ही प्रभावशील होगी।”
- नियम 15 के उप-नियम (1) में, शब्द “दो” के स्थान पर, शब्द “तीन” प्रतिस्थापित किया जाए।
- नियम 16 के उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
“(6) चयनित अभ्यर्थियों पर (दिनांक 01.08.2025 से प्रभावी) अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू होगी, चयनित अभ्यर्थी दोनों में से किसी भी योजना का चयन कर सकेंगे।”

6. नियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"16अ, पदोन्नति प्रक्रिया :- पदोन्नति का आधार वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता होगा-

पुलिस मुख्यालय द्वारा आरक्षक के पद से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक के पद से सहायक उप-निरीक्षक की पदोन्नति प्रक्रिया की समय-सारणी जारी की जायेगी, जो संपूर्ण राज्य के सभी रेंज एवं जिला/इकाई स्तर पर एक साथ क्रियान्वित होगी। तत्पश्चात्, अनुसूची-चार के अनुसरण में संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा।

पदोन्नति के लिये उपयुक्तता का आंकलन करने हेतु वरिष्ठता क्रम में कुल रिक्त पदों की संख्या के पाँच गुना तक पात्रता रखने वाले आरक्षक/प्रधान आरक्षक के सेवा अभिलेख निर्धारित प्रारूप में विभागीय समिति के समक्ष रखे जायेंगे। जिनके प्रत्येक चरण में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। सेवा मूल्यांकन में पात्र पाये गये किन्हीं कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में भाग न लेने हेतु यदि आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उतनी ही संख्या में वरिष्ठता क्रम से अन्य कर्मचारियों को उसी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

सेवा मूल्यांकन में पात्र पाये गये कर्मचारियों का मूल्यांकन चार्ट एवं वरिष्ठता सूची इकाई/जिला स्तर पर तैयार किया जाकर रेंज पुलिस महानिरीक्षक को अग्रेषित किया जायेगा। कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावा एवं आपत्तियों का निराकरण संबंधित रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उसके उपरांत रेंज स्तर पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन चार्ट का परीक्षण किया जायेगा।

उपयुक्तता के संबंध में, मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

(एक) वरिष्ठता:- आरक्षक के पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता, कार्यभार ग्रहण की तारीख पर विचार किये बिना, उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई थी। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति, पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

प्रधान आरक्षक के पद पर इस नियम के खण्ड (आठ) के उप-खण्ड (क) के अंतर्गत पदोन्नत किसी व्यक्ति की वरिष्ठता, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार चयन सूची के आधार पर निर्धारित की जाएगी और ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश करती है।

आरक्षक तथा प्रधान आरक्षक के पद जिला संवर्ग के हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक के एक जिले/इकाई से दूसरे जिले/इकाई में स्थानांतरण की दशा में, वरिष्ठता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 "वरिष्ठता" में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जायेगी। तथापि, कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे स्थानांतरण किये जाने पर, उन्हें स्थानांतरण आदेश दिनांक से संबंधित जिला/इकाई की वरिष्ठता सूची में नीचे स्थान पर रखा जायेगा।

(दो) पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति:- संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो न कि फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(तीन) रिक्तियों की संख्या का निर्धारण:— जिस संबंधित वर्ष के लिये विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की जाती है, उस वर्ष अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिये रिक्तियों की संख्या विद्यमान एवं सेवानिवृत्ति एवं उच्चतर संवर्ग/सेवा के भाग/पदों के उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों में 25% (अप्रत्याशित) का योग करते हुये निर्धारित की जायेगी।

रिक्त पदों का निर्धारण, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आरक्षण नियमों के अनुसरण में किया जायेगा। आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी इकाई में ही प्रधान आरक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा तथा प्रधान आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु रेंज स्तर पर सहायक उप-निरीक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध वरिष्ठताक्रम के आधार पर विचार किया जायेगा।

(चार) विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया:— आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु, उनकी वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर, समिति पृथक-पृथक उनके नामों पर विचार करेगी एवं उन्हें उपयुक्त/अनुपयुक्त रूप में स्पष्टतः वर्गीकृत किया जायेगा। उपयुक्तता का निर्धारण:—

क. अनुसूची-चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पात्रता के मापदण्ड,

ख. अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लिखित उत्तम आचरण के मापदण्ड, एवं

ग. वार्षिक टीप के मूल्यांकन

को पूर्ण करने और अनुसूची-पाँच में उल्लेखित सेवा मूल्यांकन में निर्धारित अंक प्राप्त करने के आधार पर किया जायेगा।

(पाँच) वार्षिक टीप का मूल्यांकन:— कर्मचारी के पिछले पाँच वर्षों के वार्षिक टीप में कोई प्रतिकूल टीका नहीं होना चाहिये, यदि पिछले पाँच वर्षों में कोई प्रतिकूल टीप दी गई हो, तो विभागीय पदोन्नति समिति ऐसी टीप का परीक्षण करेगी तथा पुर्नमूल्यांकन के लिये संबंधित कर्मचारी के सेवा-अभिलेख एवं ईनाम-सजा को ध्यान में रखेगी। विभागीय पदोन्नति समिति कारणों को अभिलिखित करते हुए सेवा-अभिलेख के आधार पर यह निर्णय ले सकती है कि प्रतिकूल टीप पदोन्नति के लिये प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगी।

(छह) योग्यता सूची:— विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मचारियों की योग्यता सूची अनुसूची-चार के कॉलम (7) में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। तत्पश्चात्, योग्यता सूची में आये आरक्षकों एवं प्रधान आरक्षकों का क्रमशः प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण संस्थान में पी.पी. कोर्स संचालित किया जायेगा। पी.पी. कोर्स में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा योग्यता सूची से रिक्त पदों पर संवर्गवार उसी क्रम में पदोन्नति दी जायेगी, जिस क्रम में उपयुक्त कर्मचारी का नाम योग्यता सूची में है। योग्यता सूची, नवीन योग्यता सूची प्रकाशित होने तक अथवा 18 माह की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, प्रभावशील रहेगी।

पदोन्नति के पश्चात्, इंडक्शन कोर्स में शामिल होना अनिवार्य होगा। संबंधित रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा इंडक्शन कोर्स की सीटों की संख्या आवंटन पश्चात्, योग्यता सूची में उल्लिखित वरिष्ठता के आधार पर इंडक्शन कोर्स हेतु पदोन्नत अधिकारी/कर्मचारी नामांकित किये जायेंगे।

पी.पी. कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद भी योग्यता सूची की वैधता अवधि तक यदि किसी आरक्षक/प्रधान आरक्षक को पदोन्नति प्राप्त नहीं होती है, तो आगामी पदोन्नति

प्रक्रिया में सेवा मूल्यांकन में उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं पी.पी. कोर्स से छूट प्रदान करते हुए उनकी वरिष्ठता के अनुसार योग्यता सूची में उनका नाम सम्मिलित किया जायेगा।

किसी भी आरक्षक/प्रधान आरक्षक को विगत वर्ष की योग्यता सूची के आधार पर पदोन्नति अथवा वरिष्ठता का लाभ दिये जाने की पात्रता नहीं होगी।

परंतु जैसी ही उनका नाम नवीन योग्यता सूची में आता है तो नवीन योग्यता सूची में उल्लिखित वरिष्ठता कम का लाभ प्रदान किया जायेगा।

परंतु यह भी कि उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध विभागीय जांच अथवा अपराधिक प्रकरण लंबित न हो और कोई दीर्घ शास्ति प्राप्त न हुई हो।

यदि किसी आरक्षक/प्रधान आरक्षक को इस अवधि के दौरान दीर्घशास्ति अधिरोपित होती है, तो उसका नाम योग्यता सूची से हटा दिया जायेगा। ऐसे आरक्षक/प्रधान आरक्षक को पदोन्नति हेतु पुनः निर्धारित चयन प्रक्रिया में भाग लेते हुए उपयुक्त होना आवश्यक होगा। योग्यता सूची बनाने एवं पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष की जायेगी। पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आरक्षक/प्रधान आरक्षक को अवसरों का बंधन नहीं रहेगा।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3 दिनांक 03.09.2003 तथा आदेश क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3 दिनांक 26.11.2012 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार रिक्त स्थानों पर पदोन्नति की जायेगी।

(सात) विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण :- (क) उन कर्मचारियों की दशा में जिनके विरुद्ध निलंबन या विभागीय जांच या अपराधिक प्रकरण लंबित हों, पदोन्नति समिति की अनुशंसा, निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में रखी जायेगी। विभागीय जांच या अपराधिक प्रकरण के निराकरण के पश्चात्, यदि कर्मचारी को बिना किसी आरोप के पूर्ण रूप से निर्दोष पाया जाता है, तो उसे विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के अनुसार पदोन्नति के उपयुक्त या अनुपयुक्त माना जायेगा। ऐसी रीति में पदोन्नत किये गये कर्मचारी को उसी तिथि से पदोन्नति के समस्त लाभ दिये जायेंगे, जिस तिथि से उसके कनिष्ठ को पदोन्नति दी गई हो, परंतु "काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के अनुसार उसे बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

टीप:- उपरोक्त संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक एफ-सी/6-2/94/3/1, दिनांक 30.06.1994 (समय समय पर यथा संशोधित) के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

(ख) यदि किसी कर्मचारी का नाम योग्यता सूची पर लाया गया है और पदोन्नति से पूर्व ही उसके विरुद्ध विभागीय जांच, अपराधिक प्रकरण, आदि प्रारंभ हो जाती है तो उसका नाम, संबंधित पुलिस अधीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक के आदेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। यदि विभागीय जांच, अपराधिक प्रकरण आदि में दीर्घ/लघु सजा प्राप्त होती है तो सक्षम अधिकारी के आदेशों से उसका नाम योग्यता सूची से हटा दिया जायेगा और यदि वह पूर्णतः दोषमुक्त किया जाता है तो उसका नाम संबंधित पुलिस अधीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक के आदेश से पुनः योग्यता सूची में यथावत स्थापित कर दिया जायेगा। पदोन्नति एवं वरिष्ठता का लाभ नियमानुसार दिया जायेगा तथा वेतन का निर्धारण उसके कनिष्ठ की तुलना में प्रावधानित किया जायेगा, परंतु "काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के अनुसार उसे बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

यदि किसी आरक्षक या प्रधान आरक्षक को विभागीय जांच अथवा अन्य कार्यवाहियों में वेतनवृद्धि रोकने का लघु दण्ड मिला हो, तो दण्ड की अवधि समाप्ति/दण्ड का प्रभाव समाप्त होने के पश्चात् ही पदोन्नत किया जायेगा।

(आठ)(क) प्रधान आरक्षक/सहायक उप-निरीक्षक के पदों में कुल रिक्तियों में से 90% पद वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम भरे जायेंगे।

(दो) प्रधान आरक्षक/सहायक उप-निरीक्षक के पदों में कुल रिक्तियों में से 10% पद पुलिस रेग्यूलेशन पैरा 70 (क) में दी गई प्रक्रिया के माध्यम से भरे जायेंगे, तथा उसके अभाव में पदोन्नति के माध्यम से भरे जायेंगे।

(नौ) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जायेगी। आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति हेतु प्रक्रिया, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी।”

• (7) अनुसूची-तीन के पश्चात “अनुसूची-चार एवं अनुसूची-पांच” जोड़ी जाए, अर्थात्:-

अनुसूची-चार
आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप-निरीक्षक पद पर पदोन्नति

स.क्र.	पद	पात्रता के मापदण्ड {कृपया नियम 16 अ.खण्ड-चार देखिये}	उत्तम आचरण के मापदण्ड/ वार्षिक टीप का मूल्यांकन {कृपया नियम 16 अ.खण्ड-चार पांच देखिये}	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन {कृपया नियम 16 अ.देखिये}	पूर्व पदोन्नति कोर्स एवं इंडक्शन कोर्स {कृपया नियम 16 अ. खण्ड-छह देखिये}	योग्यता सूची जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी {कृपया नियम 16 अ.खण्ड-छह देखिये}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आरक्षक से प्रधान आरक्षक	- पदोन्नति प्रक्रिया जिला स्तरीय होगी। - संबंधित वर्ष, जिस वर्ष पदोन्नति दी जाना है उस वर्ष की एक जनवरी को आरक्षक के पद पर न्यूनतम 08 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण हो। - आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो। - संलग्न अनुसूची-पांच के अनुसार आरक्षक को सेवा-अभिलेख मूल्यांकन में निर्धारित अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। - वरिष्ठता के आधार पर योग्य पाये आरक्षक की सूची एवं मास्टर चार्ट प्रस्तुत करने की संपूर्ण जवाबदारी इकाई प्रमुख की होगी।	- विगत 05 वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं मिली हो। - पिछले 05 वर्षों में ईनाम की संख्या छोटी सजाओं से अधिक हो। - विगत पाँच वर्षों में प्राप्त वार्षिक टीप के आधार पर संबंधित की पदोन्नति के संबंध उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के संबंध में निर्धारण किया जायेगा। - सन्निष्ठा पर संदेह न हो (सन्निष्ठा इकाई प्रमुख द्वारा सत्यापित की जावेगी।)	- संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, रेंज/उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज, विभागीय पदोन्नति समिति के गठन के लिये सक्षम अधिकारी होगा। - आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया हेतु सेवा-अभिलेखों के परीक्षण/मूल्यांकन, रिकार्ड एवं मास्टर चार्ट परीक्षणोपरांत प्रवर्गवार एवं वरीयता क्रम सूची तैयार करने के लिए इकाई स्तर पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में दो राजपत्रित अधिकारी एवं रक्षित निरीक्षक, स्टैनो, स्थापना अथवा आर्थिक लिपिक स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा। - समिति में अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व तथा महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य होगा। - अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के सदस्य जिले में नहीं होने पर पुमनि (रेंज)/उमनि (रेंज) द्वारा इस प्रवर्ग का सदस्य किसी अन्य जिले से मनोनित किया जा सकेगा। - इकाई से प्राप्त पात्रता रखने वाले आरक्षकों के रिकार्ड का परीक्षण कर प्रस्तुत करने हेतु रेंज स्तर पर पृथक से "विभागीय पदोन्नति समिति" गठित की जायेगी, जिसमें 01 पुलिस अधीक्षक, 01 अति. पुलिस अधीक्षक एवं 01 उप पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी होंगे, जो प्राप्त रिकार्ड एवं मास्टर चार्ट का परीक्षण कर प्रवर्गवार एवं वरीयता क्रम में चयन सूची अनुमोदन हेतु पु.मनि/उ.मनि (रेंज) को प्रस्तुत करेंगी।	- रेंज मुख्यालय द्वारा चयनित आरक्षकों का 45 दिवस पी.पी. कोर्स, प्रशिक्षण संस्था में चलाया जायेगा। - आरक्षक से प्रधान आरक्षक पदोन्नति के पश्चात् किये जाने वाला निर्धारित इंडक्शन कोर्स।	पुलिस अधीक्षक

2	प्रधान आश्वक से सहायक उप-निरीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक
1. पदोन्नति प्रक्रिया रेंज स्तर पर होगी। 2. संबंधित वर्ष, जिस वर्ष पदोन्नति दी जाना है उस वर्ष की एक जनवरी को प्रधान आश्वक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण हो। 3. वरिष्ठता के आधार पर योग्य पाये प्रधान आश्वक की वरिष्ठता सूची एवं मास्टर चार्ट प्रस्तुत करने की संपूर्ण जवाबदारी इकाई प्रमुख की होगी। 4. संलग्न अनुसूची-पांच के अनुसार प्रधान आश्वक को सेवा-अभिलेख मूल्यांकन में निर्धारित अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।	- उपरोक्तानुसार -	1. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, रेंज / उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज, विभागीय पदोन्नति समिति के गठन के लिये सक्षम अधिकारी होंगे। 2. प्रधान आश्वक से सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया हेतु सेवा-अभिलेखों के परीक्षण/मूल्यांकन, रिकार्ड एवं मास्टर चार्ट परीक्षणोपरांत प्रवर्गवार एवं वरीयता क्रम सूची तैयार करने के लिए इकाई स्तर पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में दो राजपत्रित अधिकारी एवं रक्षित निरीक्षक, स्टैनो, स्थापना अथवा ऑफिस लिपिक स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा। समिति में अ.जा., अ.ज.जा. एवं अपि.व. का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व तथा महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य होगा। 3. अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के सदस्य जिले में नहीं होने पर पुमनि (रेंज)/उमनि (रेंज) द्वारा इस प्रवर्ग का सदस्य किसी अन्य जिले से मनोनित किया जा सकेगा। 4. इकाई से प्राप्त पात्रता रखने वाले प्रधान आश्वकों के रिकार्ड का परीक्षण कर प्रस्तुत करने हेतु रेंज स्तर पर पृथक से 'विभागीय पदोन्नति समिति' गठित की जायेगी, जिसमें 01 उप महानिरीक्षक, 02 पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी होंगे, जो प्राप्त रिकार्ड एवं मास्टर चार्ट का परीक्षण कर प्रवर्गवार एवं संयुक्त वरीयता क्रम में चयन सूची अनुमोदन हेतु पुमनि/उमनि (रेंज) को प्रस्तुत करेंगी।
1. रेंज मुख्यालय द्वारा चयनित/उपयुक्त प्रधान आश्वकों का 30 दिवस पी. पी. कोर्स, प्रशिक्षण संस्था में चलाया जायेगा। 2. प्रधान आश्वक से सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति के पश्चात् किये जाने वाला निर्धारित इंडक्शन कोर्स।		

अनुसूची-पांच
सेवा-अभिलेख के ऑकलन का मापदण्ड: 50 अंक
[नियम-16 अ, खण्ड-चार देखिये]

स.क्र.	आरक्षक से प्रधान आरक्षक हेतु	प्रधान आरक्षक से सहायक उप-निरीक्षक हेतु
(1)	सेवाकाल की गणना पूर्ण सेवाकाल को आधार मानकर की जायेगी। प्रत्येक पूरे किये गये वर्ष के लिए 01 अंक देय होगा। सेवाकाल के अधिकतम अंक 15 होंगे।	सेवाकाल की गणना प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थापना के दिनों के ही की जायेगी और प्रत्येक पूर्ण किये गये वर्ष के लिए 01 अंक देय होगा। सेवाकाल के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे।
(2)	पूरे सेवाकाल में प्राप्त ईनाम के लिए 01 अंक प्रत्येक ईनाम के मान से अंक दिये जायेंगे। ईनाम के लिए अधिकतम अंक 15 होंगे।	प्रधान आरक्षक के पद पर प्राप्त ईनाम के लिए 01 अंक प्रत्येक ईनाम के मान से अंक दिये जायेंगे। ईनाम के लिए अधिकतम अंक 20 होंगे।
(3)	पूरे सेवाकाल में प्राप्त एक छोटी सजा के लिए 01 अंक एवं एक बड़ी सजा के लिए 05 अंक के मान से प्राप्त ईनाम के कुल अंकों में से अंक काटा जावेगा, तथापि किसी एक वर्ष में दी गई छोटी सजाओं के लिए 05 अंक से अधिक अंक नहीं काटे जायेंगे।	प्रधान आरक्षक के पद पर प्राप्त एक छोटी सजा के लिए 01 अंक के मान से एवं एक बड़ी सजा के लिए 05 अंक के मान से प्रधान आरक्षक के पद पर प्राप्त ईनाम के कुल अंकों में से अंक काटा जायेगा, तथापि किसी एक वर्ष में दी गई छोटी सजाओं के लिए 05 अंक से अधिक अंक नहीं काटे जायेंगे।
टीप	जिन कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है एवं अपीलीय-प्राधिकारी के आदेश उपरांत जिनकी याचिका मानवीय आधार पर स्वीकृत की गई है, उनके संबंध में दीर्घ शास्ति मानकर 05 अंक काटे जायेंगे।	जिन कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है एवं वह अपीलीय-प्राधिकारी के आदेश उपरांत याचिका में मानवीय आधार पर आ गये हैं, उनके संबंध में दीर्घ शास्ति मानकर 05 अंक काटे जायेंगे।
(4)	भारत सरकार अथवा म.प्र./छ.ग. सरकार द्वारा प्रदत्त कठिन सेवा पदक एवं अन्य पदक के लिए 05 अंक प्रत्येक पदक के मान से दिये जायेंगे। पदक के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे।	भारत सरकार अथवा म.प्र./छ.ग. सरकार द्वारा प्रदत्त कठिन सेवा पदक एवं अन्य पदक के लिए 05 अंक प्रत्येक पदक के मान से दिये जायेंगे। पदक के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे।
(5)	30 दिन या इससे अधिक अवधि के प्रशिक्षण के लिए 05 अंक प्रत्येक कोर्स के मान से दिये जायेंगे और 30 दिन से कम अवधि के कोर्स के लिए 03 अंक प्रत्येक कोर्स के मान से प्रदान किये जायेंगे। कोर्स के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे।	प्रधान आरक्षक के पद पर 30 दिन या इससे अधिक अवधि के प्रशिक्षण के लिए 05 अंक प्रत्येक कोर्स के मान से दिये जायेंगे और 30 दिन से कम अवधि के कोर्स के लिए 03 अंक प्रत्येक कोर्स के मान से प्रदान किये जायेंगे। कोर्स के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे।

टीप	उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर, अभिलेख के परीक्षण में अनारक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार को 40 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवार को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर, अभिलेख के परीक्षण में अनारक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार को 40 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवार को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
-----	--	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार शर्मा, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 13th February 2026

NOTIFICATION

No. ESTB/6023/2025-HOME SECTION.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and sub-section (1) of section 50 of the Chhattisgarh Police Act 2007 (No. 13 of 2007), the State Government, hereby, Makes the following further amendment in the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2007, namely :-

AMENDMENT

In the said rules:-

1. For sub-rule (1) of rule 1, the following shall be substituted, namely:-
"(1) These rules shall be called the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (Recruitment, Promotion and Conditions of Service) Rules, 2007."
2. After clause (J) of rule 2, the following clause shall be added, namely:-
"(k) '**Departmental Promotion Committee**' means the committee constituted under rule 16A as per column (5) of Schedule-IV.
(l) "**Eligibility criteria**" means those employees who fulfil the eligibility conditions given for promotion from the post of constable to head constable and from the post of head constable to assistant sub-inspector as per column (3) of Schedule-IV
(m) "**Evaluations of Service Record**" means the standards of evaluation as mentioned in Schedule-V.
(n) "**Excellent Conduct**" and "**Assesment of Annual Report**" means the criteria given in Column (4) of Schedule-IV.
(o) "**Pre-Promotion Course**" and "**Induction Course**" means the PP Course and Induction Course Prescribed in column (6) of Schedule-IV."
3. For sub-rule (2) of rule 13, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list, a waiting list for 25% of the posts shall be prepared and published apart from the real vacancies by following the reservation rules, which shall be effective from the date of publication till the commencement of the next selection process or for one year, whichever is earlier."
4. In sub-rule (1) of rule 15, for the words "two" and "late", the words "three" and "date" shall be substituted, respectively.
5. For sub-rule (6) of rule 16, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(6) National Pension Scheme (NPS) or Unified Pension Scheme (UPS) shall be applicable to the selected candidates (effective from 01.08.2025), the selected candidates shall be able to choose either of two schemes."
6. After rule 16, the following rule shall be added, namely:-

"16A. Promotion Process:- The basis of promotion shall be seniority subject to fitness-

The Police Headquarters shall issue the time schedule for the promotion process from the post of Constable to Head Constable and from the post of Head Constable to Assistant Sub-Inspector, which shall be implemented simultaneously at all the Range and District/Unit levels across the entire state.

Thereafter, the Departmental Promotion Committee shall be constituted by the concerned competent authority in accordance with Schedule-IV.

The service records of the Constables/Head Constables having eligibility up to five times the total number of vacant posts in the seniority order shall be placed before the Departmental Promotion Committee in the prescribed format to assess suitability for promotion. At each stage the reservation rules issued by the State Government from time to time shall be followed. If any employee found eligible in the service evaluation submits an application for not participating in the promotion process, then same number of employees from the seniority order may be included in the same promotion process.

The evaluation chart and seniority list of the employees found eligible in the service evaluation shall be prepared at the Unit/District level and forwarded to the Range Inspector General of Police. Claims and objections submitted by the employees shall be decided by the Range Inspector General of police.

The process for evaluation of fitness shall be determined by the Director General of Police.

- (I) **Seniority:-** The seniority of a person directly appointed to the post of Constable shall be determined on the basis of the order of eligibility in which his recommendation was made for appointment, irrespective of the date of assumption of charge. Persons appointed pursuant to an earlier selection shall be senior to the persons appointed pursuant to subsequent selection.

The seniority of any person promoted to the post of Head Constable under sub-clause (a) of clause (VIII) of this rule, shall be determined on the basis of selection list prepared by the Departmental Promotion Committee and seniority of such persons shall be in such order in which the committee recommends him for promotion.

The posts of constable and head constable are of the district cadre. In case of transfer of constable and head constable from one District/Unit to another District/Unit from administrative point of view, seniority shall be determined as per the provision contained in rule 12 "Seniority" of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961. However, where such transfer is made on the request of employee, he shall be placed at the bottom of the seniority list of the concerned District/Unit from the date of transfer order.

- (II) **Method of calculation for eligibility for promotion:** - The period of qualifying service shall be calculated as on 1st day of January of the year in which the Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, reckoned from the calendar year in which the public servant entered the pay scale of the feeder cadre/part of service/post and not from the date of entry into the pay scale of the feeder cadre/ part of service/post.

- (III) **Determination of the number of vacancies:** - Year for which the promotion process is to be organized, during that year i.e. from 1st January to 31st December the number of vacancies available for promotion shall be determined by adding 25% (unanticipated) more to the existing and anticipated vacancies arising due to retirement and promotion to higher cadre/service/part/posts carrying higher pay scale.

The vacant posts shall be determined in accordance with the reservation rules issued by the State Government from time to time. The employees of the constable cadre shall be considered for promotion against the vacant posts of Head Constable within their unit itself and the employees of the Head Constable cadre shall be considered for promotion on the basis of seniority against the vacant posts of Assistant Sub-Inspector at the range level.

- (IV) **Departmental Promotion Procedure:** - For promotion from the post of Constable to Head Constable and from the post of Head Constable to Assistant Sub-Inspector, the committee shall separately consider their names on the basis of their seniority subject to fitness, and they shall be clearly classified as fit/unfit. Suitability shall be determined of completion of:-

- A. The eligibility criteria mentioned in column (3) of schedule IV
 - B. The standards of excellent conduct specified in column (4) of schedule IV, and
 - C. Evaluation of Annual Report
- and obtaining the prescribed marks in the service evaluation mentioned in Schedule-V.

(V) Evaluation of Annual Report: - There should not be any adverse remarks in the annual report of the employee for the last 5 years. If adverse remarks have been given in the last five years, the Departmental Promotion Committee shall examine such remarks and consider the service records and reward-punishment of the concerned employee for re-evaluation. The Departmental Promotion Committee may, for reasons to be recorded in writing, decide on the basis of the service record that the adverse remarks shall not have adverse effect on promotion.

(VI) Eligibility List: - The eligibility list of the employees found suitable for promotion by the Departmental Promotion Committee shall be issued by the Competent Authority as mentioned in column (7) of Schedule-IV. Thereafter, PP course shall be conducted in the training institute for the promotion of constables and head constables in the eligibility list to the post of head constable and assistant sub-inspector respectively. The employees who pass the PP course shall be promoted to vacant posts cadre wise by the competent authority from the eligibility list in the same order in which the name of the suitable employee appears in the eligibility list. The eligibility list shall remain effective until the publication of the new eligibility list or for a period of 18 months, whichever is earlier.

It shall be mandatory to attend the Induction Course after promotion. The concerned Range Inspector General of Police shall nominate the promoted officers/employees for the Induction Course on the basis of the seniority mentioned in the eligibility list after the allocation of the number of seats in the Induction Course by the Training Branch of the Police Headquarters.

Even after passing the PP course, if any Constable/Head Constable does not get promotion till the validity period of eligibility list, then in the next promotion process, if found suitable in the service evaluation, his name shall be included in the eligibility list as per his seniority, while giving him exemption from the PP course and the process prescribed for promotion.

No Constable/Head Constable shall be eligible for promotion or seniority benefits on the basis of the previous year's eligibility list.

Provided that as soon as his name appears in the new eligibility list, he shall be given the benefit of seniority mentioned in the new eligibility list.

Provided further that no departmental inquiry or criminal case is pending against him and no major penalty has been received during the said period.

If any Constable/Head Constable is imposed with a major punishment during this period, his name shall be removed from the eligibility list. Such Constable/Head Constable shall have to become suitable by participating again in the prescribed selection process for promotion. The work of preparing and reviewing the eligibility list shall be done every year. There shall be no restriction on the opportunities to participate in the selection process for promotion of Constable/Head Constable.

Promotion to vacant posts shall be done in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Government, General Administration Department notification No. F 4-2/ 2003/1-3 dated 03-09-2003 and order No. F 4-2/ 2003/1-3 dated 26-11-2012 and orders/notifications issued by the State Government from time to time.

(VII) Departmental Inquiry/Criminal Case:- (a) In cases where employees are under suspension or departmental inquiry or criminal proceedings are pending against them, the recommendation of the Promotion Committee shall be kept in a sealed envelope in the prescribed format. After the departmental inquiry or criminal case is resolved, if the employee is found to be completely innocent without any charges, they shall be considered suitable or unsuitable for promotion as per the recommendation of the Departmental Promotion Committee. The employee promoted in such a manner shall be given all the benefits of the promotion from the same date on which his junior was promoted, but shall not be paid the arrears as per the principle of "No work No pay".

Note - Instructions issued by the General Administration Department vide the memorandum number F-C/6-2/94/3/1, dated 30.06.1994 (as amended from time to time) shall be adhered while considering above issue.

(b) If an employee's name is brought onto the merit list and a departmental inquiry, criminal case, etc. is initiated against him before promotion, his name shall be kept in a sealed envelope in the prescribed format as per the orders of the concerned Superintendent of Police/Inspector General of Police. If a major/minor punishment is received in the departmental inquiry, criminal case, etc., his name shall be removed from the merit list as per the orders of the competent authority and if he is acquitted, his name will be reinstated in the merit list as it is at the same place as per the orders of the concerned Superintendent of Police/Inspector General of Police. Promotion shall be granted as per rules and the benefit of seniority and salary determination will be provided in comparison to the junior, but he will not be paid as per the principle of no work no pay.

If a Constable or Head Constable has been given a minor punishment of withhold increment in departmental inquiry or other proceedings, they shall be promoted only after the completion of the punishment period/cessation of the effect of the punishment.

(VIII) (a) Out of the total vacancies in the posts of Head Constable/Assistant Sub-Inspector, **90 %** of the posts shall be filled through promotion based on seniority subject to fitness.

(b) In the posts of Head Constable/Assistant Sub-Inspector, **10 %** of the total vacancies shall be filled through the procedure given in Police Regulations Para 70 (a), and in the absence thereof, they shall be filled through promotion.

(IX) The meeting of the Departmental Promotion Committee shall be held every year. The procedure for promotion in reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued from time to time by the General Administration Department."

7. After Schedule-III, the following Schedule-IV and V shall be added, namely:-

SCHEDULE-IV

Promotion of Constable to Head Constable and Head Constable to Assistant Sub-Inspector

S.No.	Designation	Eligibility Criteria {Please see Rule-16A clause IV}	Standards of Excellent Conduct / Assessment of Annual Report {Please see Rule-16A clause IV and V}	Formation of Departmental Promotion Committee {Please see Rule-16A}	Pre-promotion course and Induction course {Please see Rule-16A clause VI}	Competent Authority for Issuance of Eligibility List {Please see Rule-16A clause VII}
1	Constable to Head Constable	1. The promotion process shall be at the district level. 2. The year in which promotion is to be given, the minimum service period of 08 years must be completed as of January 1 of that year in the rank of Constable. 3. The Constable must have passed the basic training. 4. According to the attached Schedule-V, it shall be mandatory for the Constable to earn the prescribed marks in the service record evaluation. 5. List and master chart of eligible Constables based on seniority shall lie entirely with the unit head.	1. No major punishment has been received in the past 5 years. 2. In the last 5 years, the number of awards should be higher than the number of minor punishments 3. Based on the annual remarks received over the past five years, suitability/unsuitability of the concerned for promotion shall be determined. 4. There should be no doubt about integrity (integrity shall be verified by the unit head)	1. The concerned Inspector General of Police, Range/Deputy Inspector General of Police Range, shall be the competent authority for the constitution of the Departmental Promotion Committee. 2. For the promotion process from Constable to Head Constable, a Departmental Promotion Committee shall be constituted at the unit level under the chairmanship of the Superintendent of Police, consisting of two gazetted officers, Reserve Inspector, stenographer and employees of the rank of Establishment or Statistical Clerk, for examining/evaluating service records, records and master charts, and preparing a category-wise and seniority list. It shall be mandatory to have separate representation of SC, ST and OBC in the committee and to include a woman member. 3. If there are no member of Other backward class, Scheduled Caste and Scheduled Tribe category in the district, the IGP (Range)/ DIG (Range) may nominate a member of this category from any other district. 4. A separate Departmental Promotion Committee as mentioned above shall be constituted at the range level to examine and submit the records of eligible constables received from the unit, which shall include 01 Superintendent of Police, 01 Addl. Superintendent of Police, 01 Dy. Superintendent of Police rank officer, who shall examine the received records and master chart and prepare the selection list category-wise and seniority order approval of the IGP/DIG (Range).	1. The pre promotion course for the constables selected by the Range Headquarters shall be conducted in the training institutions for 45 days 2. The prescribed induction course shall be conducted after promotion from Constable to Head Constable.	Superintendent Of Police

S.No.	Designation	Eligibility Criteria {Please see Rule-16A clause IV}	Standards of Excellent Conduct / Assessment of Annual Report {Please see Rule-16(A)(IV, V)}	Formation of Departmental Promotion Committee {Please see Rule-16(A)}	Pre-promotion course and Induction course {Please see Rule-16(A)(VI)}	Competent Authority for Issuance of Eligibility List {Please see Rule-16(A)(VII)}
1	2	3	4	5	6	7
2	Head Constable to Assistant Sub Inspector	1. The promotion process shall be at range-level. 2. The year in which the promotion is to be given, the person should have completed a minimum of 05 years of service on the post of Head Constable as of January 1st of that year. 3. The unit head shall be entirely responsible for presenting the seniority list and master chart of eligible Head Constables based on seniority. 4. As per the attached Schedule-V, it shall be mandatory for Head Constables to obtain the prescribed marks in the service record evaluation.	As per Above	1. The concerned Inspector General of Police, Range / Deputy Inspector General of Police, Range, shall be the competent authority for the constitution of the departmental promotion committee. 2. For the promotion process from Head Constable to Assistant Sub-Inspector, a departmental promotion committee shall be constituted at the unit level under the chairmanship of the Superintendent of Police, consisting of two gazette officers, Reserve Inspector, Steno and employees of the rank of Establishment or Statistical Clerk, for examining/ evaluating service records, records and master charts, and preparing a category-wise and seniority list after record and master chart verification. It shall be mandatory to have separate representation of SC, ST and OBC in the committee and to include a woman member. 3. If there are no members of Other backward class, Scheduled Caste and Scheduled Tribe category in the district, the IGP (Range)/ DIG (Range) may nominate a member from another district for this category. 4. A separate Departmental Promotion Committee as mentioned above shall be constituted at the range level to examine and submit the records of eligible head Constables from the unit, consisting of 1 DIG and 2 officers of the rank of Superintendent of Police which shall review the received records and master charts and prepare the selection list category-wise and seniority order for approval of the IGP/DIG (Range).	1. The pre-promotion course for the suitable Head Constables shall be conducted at the Training Institutions for 30 days by the Range Headquarters. 2. The prescribed induction course shall be conducted after promotion from Head Constable to Assistant Sub-Inspector.	Inspector General of Police

SCHEDULE-V
Standards for Service Record Evaluation: 50 marks
{ See Rule 16(A)(IV) }

S.No.	For Constable to Head Constable	For Head Constable to Assistant Sub Inspector
(1)	The calculation of service period shall be based on the complete service period. 01 mark awarded for each completed year. The maximum marks for service period shall be 15.	The calculation of service period shall be made from the date of appointment to the rank of Head Constable. 01 mark shall be awarded for each completed year. The maximum marks for service period shall be 10.
(2)	For awards received during the entire service period, 01 mark shall be given for each award. The maximum marks for awards shall be 15.	For awards received in the rank of Head Constable, 01 mark shall be given for each award. The maximum marks for awards shall be 20.
(3)	For a minor punishment during the entire service period, 01 mark shall be deducted from the total points of rewards received, and for a major punishment, 05 marks shall be deducted, however, not more than 05 marks shall be deducted for minor punishments given in a single year.	For a minor punishment received while holding the rank of Head Constable, 01 mark shall be deducted from the total points of rewards received, and for a major punishment, 05 marks shall be deducted. However, in any one year, not more than 05 marks shall be deducted for minor punishments.
Note	For employees who have been removed from service and whose petitions have been accepted on humanitarian grounds after the order of the appellate authority, 05 marks shall be deducted considering it as a major punishment.	For employees who have been removed from service and whose petitions have been accepted on humanitarian grounds after the order of the appellate authority, 05 marks shall be deducted considering it as a major punishment.
(4)	For the difficult service medals and other medals awarded by the Government of India or the Government of Madhya Pradesh/Chhattisgarh, 05 marks per medal shall be awarded. The maximum marks for medals shall be 10.	For the difficult service medals and other medals awarded by the Government of India or the Government of Madhya Pradesh/Chhattisgarh, 05 marks per medal shall be awarded. The maximum marks for medals shall be 10.
(5)	For training of 30 days or more, 05 marks per course shall be awarded, and for courses of less than 30 days, 03 marks per course shall be awarded. The maximum marks for the course shall be 10.	For training of 30 days or more at the rank of Head Constable, 05 marks per course shall be awarded, and for courses of less than 30 days, 03 marks per course shall be awarded. The maximum marks for the course shall be 10.

Note	Based on the above criteria, it shall be mandatory for candidates from the unreserved category to score 40% marks and for candidates from the Scheduled Castes/Scheduled Tribes category to score 30% marks in the record examination.	Based on the above criteria, it shall be mandatory for candidates from the unreserved category to score 40% marks and for candidates from the Scheduled Caste/Scheduled Tribes category to score 30% marks in the record examination.
-------------	--	---

-----0-----

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 RAMESH KUMAR SHARMA, Secretary.